न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 32 / 2018

अपीलांट्स–

1. भंवरसिंह पुत्र भैरसिंह
2. सायरकंवर पत्नी भैरसिंह
3. चुतरसिंह पुत्र हडवन्तसिंह
   जाति राजपूत निवासी
   जसोड़ों की बेरी, परेऊ
   तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. जालमसिंह पुत्र नगसिंह
2. चैनसिंह पुत्र हड़मतसिंह
3. कानसिंह पुत्र हड़मतसिंह
4. रूपसिंह पुत्र हड़मतसिंह
   जाति राजपूत निवासी जसोड़ों की बेरी, परेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
5. हुकमाराम पुत्र पदमाराम
6. दमाराम पुत्र पदमाराम
7. थानाराम पुत्र पदमाराम
   जाति जाट निवासी समरखिया खारा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
8. प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा परेऊ तहसील गिड़ा
9. तहसीलदार गिड़ा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक / राजस्व / 2015 / 2015 / 106 दिनांक 12.06.15 जो बंटवाड़ा एग्रीमेंट पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थिति :–

1. श्री कैलाश एन सारण, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री भोमाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5से7 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 9 की ओर से उपस्थित।
4. अवशेष रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27 / 08 / 2019

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गिड़ा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा जसोड़ों की बेरी के खसरा नम्बर 940/104, 942/104 कुल रकबा 341–12 बीघा भूमि के खातेदारान हुकमाराम, दमाराम, थानाराम पि0 पदमाराम हि0 1/4 कौम जाट सा0 समरखिया, जालमसिंह पुत्र नगसिंह हि0 1/4, भंवरसिंह पुत्र भैरसिंह मु0 सायरकंवर बेवा भैरसिंह, चतुरसिंह, चैनसिंह, कानसिंह, रूपसिंह पि0 हडवन्तसिंह हि0 1/2 कौम राजपूत सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2015 तहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी परेऊ द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार गिड़ा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 106 दिनांक 12.06.2015 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गिड़ा द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 12.06.2015 स्वीकार करने मे भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। प्रस्तुत विभाजन अनुसार रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपने 1/4 हिस्सा मे आने वाली भूमि खसरा नम्बर 940/104 में से प्राप्त कर ली तथा रेस्पोडेंट सं. 5से7 क्रेता खातेदारान ने भी अपना 1/4 हिस्सा की भूमि

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

खसरा नम्बर 940/104 मे से लेकर अलग करवा दी। इसके पश्चात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 2से4 की भूमि का बंटवाड़ा उनके निष्फ हिस्सा अनुसार नहीं किया गया। रेस्पोडेंट सं. 2 के हिस्सा मे सकल भूमि मे से 1/10 हिस्सा मे 34 बीघा भूमि आती हैं तो उसे खसरा नम्बर 942/104 मे एकल चक मे दे दी गई इसके बावजूद भी उसका नाम खसरा नम्बर 940/104 मे संयुक्त रखी गई भूमि मे सम्मिलित कर दिया। इसी प्रकार रेस्पोडेंट सं. 3 कानसिंह को खसरा नम्बर 942/104 मे 30–00 बीघा भूमि दिये जाने पर उसके हिस्से मात्र 4–00 बीघा भूमि आती है फिर भी उसका नाम खसरा नम्बर 940/104 की 57–13 बीघा संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कर दिया। रेस्पोडेंट सं. 4 रूपसिंह को भी खसरा नम्बर 942/104 मे 28–00 बीघा भूमि दिये जाने पर उसके हिस्से अनुसार 06–00 बीघा शेष रहती है फिर भी उसका नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान के हिस्सों का सही विभाजन नही होते हुए भी विभाजन एग्रीमेंट स्वीकार किया हैं जो निरस्त योग्य हैं। मयाद के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलांट ने प्रकट किया कि आपसी सहमति के विभाजन अनुसार नामान्तरकरण सं. 138 पारित किया गया, जिसकी जानकारी अपीलांट्स को नही थी। अपीलांट्स ने अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 940/104 पर वर्षा ऋतु आने पर सूड़ करना प्रारम्भ किया तो रेस्पोडेंट सं. 1से4 ने कहा कि इस भूमि मे उनका भी बराबर हक हैं तथा मौके से अपीलांट को धमकी दी गई। इस पर दिनांक 05.07.2018 को हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल, नक्शा प्राप्त किया तथा सहमति विभाजन की नकल हेतु तहसील गिड़ा मे आवेदन दिनांक 12.07.2018 को प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 16.07.2018 को नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को सर्वप्रथम इस गलत विभाजन की जानकारी हुई। अपीलांट को जानकारी होने पर सम्यक तत्परता के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा जो विलम्ब हुआ है उसे सद्भाविक एवं अज्ञानता वश हुए विलम्ब को क्षमा कर अन्दर मयाद शुमार करने का श्रम करावे तथा प्रस्तुत ठोस आधारों पर यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन विभाजन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

5. रेस्पोडेंट सं. 5से7 के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट अपील मे उल्लिखित तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रकट किया कि उनके द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 से खसरा नम्बर 940/104 मे से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र 57–02 बीघा क्रय की गई थी जिसके कब्जा–काश्त अनुसार विभाजन कर लिया गया हैं जिसे माफिक विक्रय पत्र हिस्सा एवं कब्जा–काश्त हैं जिसे यथावत रखते हुए पुनः विभाजन किया जावें तथा शेष भूमि मे अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के हक–हिस्सा

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

एवं प्रभाजन मे किसी प्रकार की कोई भिन्नता आने से अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता हैं तो उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही हैं।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स सं. 1से7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जसोड़ों की बेरी, परेऊ मे आई हुई है जिसमे खसरा नम्बर 940/104 की भूमि मे माफिक हिस्सा 1/4 रेस्पो0 सं.1 को एकल दी गई तथा इसी प्रकार 1/4 हिस्सा रेस्पोडेंट सं. 5से7 को भी एकल विभाजित कर दी गई है। इस प्रकार सकल भूमि मे से हिस्सा 1/2 मे आने वाली भूमि के बाबत किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नही हैं। इसके शेष 1/2 हिस्सा की भूमि मे अपीलांट सं. 1व2 का 1/5, अपीलांट सं. 2 का 1/5 एवं इसी अनुसार रेस्पोडेंट सं. 2से4 का भी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा होना मानते हुए अपीलांट्स का कथन हैं कि खसरा नम्बर 942/104 व 940/104 में इनका विभाजन माफिक हिस्सा नहीं किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल विभाजन एग्रीमेंट का अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट रेस्पोडेंट सं. 2 चैनसिंह को माफिक हिस्सा 34–00 बीघा भूमि 942/104 मे से दिये जाने के बावजूद भी उनका नाम खसरा नम्बर 940/104 मे संयुक्त रूप से यथावत रखा गया है, इसी प्रकार रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 को भी खसरा नम्बर 942/104 मे दी गई भूमि के बावजूद खसरा नम्बर 940/104 मे उनके हिस्से आने वाली भूमि का हिस्सा अंकित नहीं किया गया हैं। इस प्रकार खातेदारान के हिस्सों की गणना से यह भली–भांति साबित है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश वास्तविक हिस्सा अनुसार नही किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच हक–हिस्सा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खातेदारान के हिस्सा एवं प्रभाजन की गणना की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

रेस्पोडेंट तहसीलदार गिड़ा द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 12.06.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गिड़ा को पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान के हक–हिस्सा अनुसार उनकी सहमति से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)